

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत क्यारी कचटा मार्ग से मैहसासा तक मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या रकाम की अवस्थिति
 - ग्राम क्यारी कचटा मार्ग से
 - मैहसासा मोटर मार्ग
 - उत्तराखण्ड
 - देहरादून
 - चकराता वन प्रभाग
 - चकराता
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
 - 0.053 है०
8. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति
 -
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:
 -
 - (i) वन का प्रकार ठिक्की जंगल
 -
 - (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.1
 -
 - (iii) प्रजातिदार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना साल 1
 -
 - (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुरस्त्रा
 -
10. भूक्षेत्र के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण
 -
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी:
 - 5 किमी से 1
12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता:
 -
 - (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा:
 -
 - (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव बार्डन की और टीका टिप्पणियाँ उपावद्ध की जाएँ)
 - नही हाथी कोरीडोर के अन्तर्गत नही है
 - (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव बार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावद्ध की जाएँ)
 - नही

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी व अभयारण्य वन्य जीव उत्प्रेषण आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावद्ध की जाएं)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम की खतर की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्रतिक्रिया से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

नहीं
कोई महत्वपूर्ण संस्मारक
नहीं है।

14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि

15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्फलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)✓

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)✓

(iv) संपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

लगातार है।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : $0.052 \times 2 = 0.104 = 8,30,000 = 137,30,000$

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान कर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबंधित उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं (हां/नहीं)।

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों दिनांक 18-20-2015 1.50 किमी $22,000,000 = 3,00,000$ स्थान $21.4.2011$

नाम 51. दिनांक (18-4)

सरकारी मोहर

सरकारी मोहर